टीम अरुणाचल हर क्षेत्र में बदलाव लाने, राज्य के विकास की गति बनाए रखने तथा विकसित भारत का लक्ष्य साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिन-रात काम कर रही है। —पेमा खांडू, मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश

माननीय लक्ष्मण आचार्य जी ने अपना जीवन गरीबों को सशक्त बनाने में समर्पित कर दिया है। सिक्किम के राज्यपाल के रूप उनके पास शानदार कार्यकाल के साथ समृद्ध संगठनात्मक और विधायी अनुभव है। —— हिमंत बिस्वा सर्मा, मुख्यमंत्री, असम

हाईकोर्ट ने सीबीएसई को पोर्टल खोलने का दिया निर्देश

■ स्कूल प्रबंधन को लताड़ा और 50 हजार का लगाया जुर्माना

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को निर्देश दिया था कि वह दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के 45 छात्रों के पूरक परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अपना ऑनलाइन पोर्टल खोले। जिससे वे अपने अंकों में सुधार कर सकें। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने स्कूल की घोर लापरवाही को इंगित किया और कहा कि अदालत छात्रों के एक शैक्षणिक सत्र का नुकसान नहीं उठाने दे सकता।

न्यायमूर्ति ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इसी तरह के छात्रों को उसने पूरक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। उसी आधार पर सीबीएसई उन 45 छात्रों को भी उसी तरह से और उसी सीमा तक समायोजित करे।

न्यायमूर्ति ने स्कूल की लापरवाही का उल्लेख करते हुए कहा कि उसने निर्धारित समय के भीतर आपेक्षित विवरण अपलोड नहीं किया जिससे छात्रों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने स्कूलों को याद दिलाया कि उनका प्राथमिक उद्देश्य छात्रों की हितों को देखना है। उन्होंने उसके साथ ही कहा कि इस अदालत का मानना है कि वर्तमान मामला याचिकाकर्ता स्कूल की लापरवाही के कारण दाखिल किया गया है, जिसने अपने ही छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया था। उससे उनके भविष्य पर अनिश्चितता मंडरा रही थी। उसने इसके लिए स्कूल पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि इसे एक सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के पास जमा कराए। उन्होंने यह निर्देश ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसने अपनी 10वीं व 12वीं के छात्रों को पूरक परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की थी।

स्कूल ने तर्क दिया था कि संबंधित शिक्षक के अवकाश पर चले जाने की वजह से समय पर आपेक्षित विवरण अपलोड नहीं किया जा सका था। कोर्ट ने कहा कि स्कूल समय सीमा का पालन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि सभी आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो जाएं। खासकर जब अधिसूचनाएं और समय सीमा स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में हों। यह बहाना बनाना कि संबंधित शिक्षक अवकाश पर थे, इसलिए समय सीमा चूक गई, यह एक खराब बहाना है। उसने कहा कि जिस स्कूल के हाथों में छात्रों का भविष्य है उसको सतर्क रहना चाहिए था कि अगर एक शिक्षक अवकाश पर हैं तो पूरा प्रशासन का काम बंद न हो।

नामवर अवतरण पर साहित्य महोत्सव

नई दिल्ली (एसएनबी)। नारायणी साहित्य अकादमी के तत्वाधान में आयोजित, सुरभि स्टूडियो में अवतरण दिवस का साहित्यिक महोत्सव नामवर सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित रहा। अकादमी की दिल्ली शाखा की ओर से किया गया यह कार्यक्रम सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक चलता रहा। वरिष्ठ साहित्यकार डा.सीमा कौशिक कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहीं। आयोजन के प्रथम सत्र में वरिष्ठ साहित्यकार अरुण त्रिवेदी ने बहुत ही विस्तृत जानकारी देते हुए युवाओं को बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के विद्यार्थियों में नामवर सबसे प्रिय रहे। उन्होंने संदेश दिया कि कोई नामवर यूं ही नहीं बन जाता है। आप भी अपनी कर्मठता एवं विद्वता से उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। डा.जनार्दन यादव ने कविता के नए प्रतिमान के संदर्भ में प्रकाश डालते हुए अपने वक्तव्य में उनके श्रेष्ठ सृजन की चर्चा की। मोहम्मद इलियास ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उर्दू और हिंदी के संदर्भ में बताया कि किस प्रकार से नामवर बाबूजी ने सभी भाषाओं के लिए उत्तम कार्य करते हुए भाषा विभाग की स्थापना जेएनयू में की। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम प्रकाश डाबर ने बच्चों को हिदायत दी कि आप श्रेष्ठ रचना के संपर्क में रहिए और उन्हें एवं उनकी पुस्तकों को पढ़िए।

डीयू के कॉलेजों में निधि का दुरुपयोग नहीं हुआ : समिति

■ 12 कॉलेज की संबद्धता जारी रखी जा सकती है

■ ये डीयू के घटक कॉलेज हैं और अभिन्न अंग हैं

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित 12 महाविद्यालयों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की एक समिति ने धन के दुरुपयोग की किसी भी संभावना से इनकार किया है और कहा है कि विश्वविद्यालय के साथ इन कॉलेज की संबद्धता जारी रखी जा सकती है। पैनल ने शनिवार को डीयू की कार्यकारी परिषद की बैठक में रिपोर्ट के निष्कर्ष पेश किए। इस बैठक में कुछ प्रमुख निर्णयों को मंजूरी दी गई और उन पर चर्चा की गई। कार्यकारी परिषद (ईसी) विश्वविद्यालय की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नियमों के अनुसार, इन 12 कॉलेज की मान्यता रद्द नहीं की जा सकती और ये दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) का अभिन्न अंग हैं। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने पिछले साल दिसंबर में केंद्र को एक पत्र लिखकर इन कॉलेज पर 'सैकड़ों करोड़ रुपए की अनियमितताओं और प्रक्रियात्मक खामियों' में लिप्त होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कार्यकारी समिति के सदस्यों वाले इस पैनल का गठन किया गया था। जांच समिति ने कहा कि मंत्री द्वारा लिखा गया पत्र, जिसमें इन कॉलेज की डीयू से संबद्धता समाप्त करने का सुझाव दिया गया है, उसे वापस लिया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है, 'एक मद से दूसरे मद में धन का कोई अनधिकृत विनियोजन नहीं हुआ है। सफाई और सुरक्षा के लिए कोई मनमाना और अनियमित भुगतान नहीं किया गया है। इन कॉलेज में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है।' इसमें कहा गया है कि 12 कॉलेज 'निर्धारित मानदंडों के अनुसार विश्वविद्यालय के घटक कॉलेज हैं और डीयू का अभिन्न अंग हैं।' रिपोर्ट में कहा गया है, 'उनकी मान्यता रद्द नहीं की जा सकती। इन कॉलेज की दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्धता खत्म करने का कोई भी प्रयास न तो कानूनी रूप से उचित है और न ही छात्रों, शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक समुदाय के हित में है।' यह रिपोर्ट अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली सरकार को भेजी जाएगी। यद्यपि कुछ शिक्षक समूह और पैनल के कुछ सदस्य रिपोर्ट से पूरी तरह सहमत नहीं थे, फिर भी इसे कार्यकारी समिति ने स्वीकार कर लिया।

कार्यकारी समिति ने बैठक में कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, जिनमें तीन परियोजनाओं के लिए उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) से धन दिया जाना शामिल है। इसके तहत सूरजमल विहार में शैक्षणिक भवन के निर्माण के लिए 373 करोड़ रुपए, रोशनपुरा नजफगढ़ में कॉलेज व शैक्षणिक भवन के निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपए और द्वारका में खाली पड़ी जमीन पर शैक्षणिक भवन के निर्माण के लिए 107.18 करोड़ रुपए के वित्तपोषण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) यूजीसीएफ-2022 के तहत छात्रों को उत्तीर्ण करने संबंधी मानदंडों और नियमों की समीक्षा के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के वास्ते गठित एक अन्य समिति की सिफारिशों को भी मंजूरी दी गई।

डीयू से संबद्ध कॉलेज समाप्त करना चाहते हैं ओबीसी के पद : फोरम

■ पदों पर गेस्ट टीचर्स लगाकर आरक्षण समाप्त करने की साजिश : प्रोफेसर सिंह

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली यूनिवर्सिटी एससी, एसटी, ओबीसी टीचर्स फोरम के अध्यक्ष प्रोफेसर केपी सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कुछ कॉलेजों के ओबीसी कोटे की सेकेंड ट्रांच के पदों का रोस्टर रजिस्टर न तैयार करने पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि कॉलेजों को चाहिए कि सेकेंड ट्रांच के पदों का रोस्टर रजिस्टर तैयार करके उसे विश्वविद्यालय प्रशासन से पास कराएं और उसका विज्ञापन निकालें, लेकिन कॉलेज ऐसा नहीं कर रहे हैं।

प्रोफेसर सिंह ने कुछ कॉलेजों द्वारा एडहॉक शिक्षकों के पदों को समाप्त कर उन्हें गेस्ट टीचर्स में तब्दील किए जाने की भी कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि गेस्ट टीचर्स की आड़ में धीरे-धीरे केंद्र सरकार की आरक्षण नीति को समाप्त कर उन पदों को सामान्य वर्गो के अभ्यर्थियों से भरना चाहते हैं।

उन्होंने बताया है कि गेस्ट टीचर्स के पदों पर भी केंद्र सरकार की आरक्षण नीति को लागू किया गया, लेकिन कुछ कॉलेज इस नियम की अवहेलना कर रहे हैं। डीओपीटी के नियमानुसार 45 या उससे अधिक समय के लिए खाली पदों पर भी आरक्षण दिया जाता है। इसके तहत एससी-15, एसटी-7.5, ओबीसी -27, पीडब्ल्यूडी-5 फीसदी पर आरक्षण देकर पदों को भरा जाना चाहिए।

समस्या यह है कि जिन कॉलेजों में किसी विभाग में अपने यहां 2 पद गेस्ट टीचर्स से भरने के निकाले को जिसमें 1 पद एससी व 1 अनारक्षित को दिया है, जबकि यह दोनों पद एससी के लिए होने चाहिए। उन्होंने बताया है कि जब इन पदों को स्थाई सहायक प्रोफेसर से भरते हैं तो कॉलेज इन्हें अनारक्षित पद कर देते हैं, जबकि यह ओबीसी सेकेंड ट्रांच के पद हैं।

पैसे के विवाद में चाकू से गोदकर बेटी की हत्या

■ चाकू मार पत्नी को भी किया घायल

नई दिल्ली (एसएनबी)। द्वारका इलाके में रविवार को पैसे को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति ने अपनी 22 वर्षीय बेटी की कथित रूप से चाकू गोद कर हत्या कर दी और पत्नी को घायल कर दिया। पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान रश्मिना खातून (22) के रूप में हुई है, जबकि उसकी मां सूफिया हमले में घायल हो गई। उन्होंने बताया कि घटना नजफगढ़ इलाके की है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक नजफगढ़ थान क्षेत्र में पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को एक 13 वर्षीय किशोरी ने बताया कि उसने ही पड़ोसी के जरिए पुलिस का सूचना दी थी। किशोरी ने बताया कि शनिवार और रविवार की दरमीयानी रात उसकी मां सूफिया और पिता अब्बास अली के बीच पैसों को लेकर बहस हुई थी। इसके बाद पिता ने चाकू हाथ में लेकर उसकी मां के सिर पर वार किया और जब उसकी बहन रश्मिना खातून बीच बचाव करने लगी तो उसके पिता ने उसके सिर पर भी चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने के बाद वह बेहोश हो गई।

पुलिसकर्मियों की एक टीम जाफरपुर स्थित आरटीआरएम अस्पताल पहुंची, जहां घायल रश्मिना खातून को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि सूफिया घायल है। केस दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं।

महिला वकीलों को 33 फीसदी आरक्षण देने पर शहादरा बार सहमत

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली की शाहदरा बार एसोसिएशन ने दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) सहित दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) एवं सभी जिला बार एसोसिएशन में महिला वकीलों के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का समर्थन किया है और उसको लेकर हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। कोर्ट में एक जनहित याचिका लंबित है जिसमें सभी एसोसिएशनों में महिला वकीलों के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले में सभी से जवाब मांगा था।शाहदरा बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने कहा है कि वह याचिकाकर्ता अधिवक्ता शोभा गुप्ता की मांग से पूरी तरह सहमत हैं। यह उचित और न्यायसंगत भी है कि बीसीडी सहित सभी जिला न्यायालयों के बार एसोसिएशन महिला वकीलों के लिए कार्यकारी समितियों में 33 फीसदी पदों या सीटों के आरक्षण को बढ़ावा दें। लेकिन उसने वकीलों के निकायों में आगामी और बाद के चुनावों में पदाधिकारियों के पद पर महिला वकीलों को रोटेशन के जरिए आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया है। उसने कहा है कि कार्यकारी समितियों में सदस्यों में से एक तिहाई महिला वकीलों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए जिससे उनका प्रतिनिधित्व प्रभावी हो सके।

याचिका में बीसीडी और अन्य बार एसोसिएशनों में प्रभावी पदों पर महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की मांग की गई थी और कहा गया है कि उससे महिला वकीलों को उन्हें आगे बढ़ने और अपनी शिकायतों को दूर करने का समान अवसर मिलेगा।

उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लि.
"पन्तनगर बीज"
पंतनगर पो.आ. हल्दी-263145 जिला-ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)
दूरभाष 05944-230234, मो.नं.- 6396722617

पत्रांक : बीज निगम/04/विप./2024/10918 दिनांक : 27.07.2024

ई-निविदा संख्या-R03/SP/2024

उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लि. पन्तनगर, पत्रालय हल्दी, जनपद ऊधम सिंह नगर के विभिन्न संयंत्रों एवं गोदामों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के निष्प्रयोज्य/अनुपयुक्त विधायक सामग्री यथा जूट बोरे, कपड़े के थैले, त्रिपाल, पोलीथीन, चैम्बर, आदि वस्तुओं एवं विभिन्न सामग्रियों के विक्रय हेतु E-Procurement portal-www.uktenders.gov.in पर निविदायें आमंत्रित की जाती है।

निविदा का विस्तृत विवरण, नियम एवं शर्तें, धरोहर राशि आदि निविदा प्रपत्र में दर्शित है निविदायें दिनाँक : 30.07.2024 से दिनांक : 13.08.2024 को अपरान्ह 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तदोपरान्त दिनांक 14.08.2024 को अपरान्ह 3.00 बजे निविदायें डाउनलोड/खोली जायेंगी।

अधिक जानकारी एवं ई-टेण्डर डाउनलोड किये जाने हेतु E-Procurement portal-www.uktenders.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रभारी, भण्डार एवं क्रय

शैक्षणिक संस्थान लोकतंत्र व देश के मजबूत स्तंभ : हाईकोर्ट

■ अमरेश कुमार

नई दिल्ली। एसएनबी

■ छात्र की फिर से पीएचडी में पंजीकरण की मांग की खारिज

■ कहा, जब कोई छात्र अध्यादेश के अनिवार्य खंडों का जानबूझकर उल्लंघन करता है, तो यह शैक्षणिक अनुशासन के लिए हानिकारक होगा

हाईकोर्ट ने हाल ही में जेएनयू से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि स्कूल, विश्वविद्यालय व शैक्षणिक संस्थान लोकतंत्र के साथ-साथ पूरे देश के मजबूत स्तंभ हैं। ये केवल अंक, पाठ्यक्रम या डिग्री के लिए लोगों को तैयार करने वाली मशीनें नहीं हैं। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद करना है। वे ही छात्र विद्वान बनकार देश के भविष्य होंगे।

न्यायमूर्ति ने उक्त टिप्पणी करते हुए जेएनयू की अकादमिक परिषद के फैसले को चुनौती देने वाले एक छात्र की याचिका खारिज कर दी। परिषद ने विश्वविद्यालय की विशेष समिति की सिफारिश को पलट दिया था, जिसके तहत पीएचडी में उसके पंजीकरण को बहाल करने की बात कही गई थी। न्यायमूर्ति ने कहा कि याचिकाकर्ता छात्र ने पीएचडी की डिग्री से संबंधित विश्वविद्यालय के अध्यादेश के जरूरी खंडों का उल्लंघन किया है। उसने दो साल की अनिवार्य निवास की अवधि पूरी नहीं की है। इस दशा में शैक्षणिक नीति मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप, विशेष रूप से जब कोई छात्र अध्यादेश के अनिवार्य खंडों का जानबूझकर उल्लंघन करता है, तो यह शैक्षणिक अनुशासन के लिए हानिकारक होगा। जबकि यह किसी शैक्षणिक संस्थान के लिए महत्वपूर्ण है।

कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को अक्सर लोकतंत्र के स्तंभों में से एक नहीं माना जाता है, लेकिन उसकी राय में शैक्षणिक संस्थान निश्चित रूप से न केवल लोकतंत्र, बल्कि पूरे देश का एक मजबूत स्तंभ है। क्योंकि देश का भविष्य छात्रों पर निर्भर करता है, जो उसके नागरिक हैं। उसने कहा कि शैक्षणिक संस्थान के जरिए डिग्री वाले छात्र पैदा करने एवं उसी के माध्यम से एक अच्छे इंसान पैदा करने में फर्क है। अच्छे इंसान ही देश बनाते हैं।

पूरी दिल्ली में हो रहा बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन

■ ज्ञानप्रकाश

नई दिल्ली। एसएनबी

■ हादसे की बाट जोहती शहर की अधिकांश इमारतें

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के व्याप्त भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है। पहले मुखर्जी नगर, फिर करोलबाग अब ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने तीन जिंदगियां लीलने संबंधी दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो यह सीधे सीधे बिल्डिंग बायलॉज (भवन नियमावली) की अनदेखी का सीधा सीधा मामला बनता है।

तथ्य ये हैं कि दिल्ली में यूनिफाइड (एकीकृत) विल्डिंग बायलॉज नियम लागू नहीं किए गए हैं। नियम को लागू करने के लिए कई बार मांग उठी। ओल्ड राजेंद्र नगर की तरह ही लक्ष्मी नगर, बुराड़ी, मौरिस नगर, मुखर्जी नगर, करोल बाग, पूसा रोड, राजेंद्र प्लेस, उत्तम नगर, जनकपुरी के पंखा रोड क्षेत्र यूपीएससी, एसएससी, इनकम टैक्स समेत कई सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में प्रवेश देने के लिए तैयारी करने हब के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पूर्व अधिकारी डा. सजल मित्रा ने कहा कि नए बायलॉज में भवनों में एफएआर की गणना से बैटरमेंट लेवी के प्रावधान को खत्म कर दिया है और अब इसकी जगह बिल्टअप एरिया रेशो (बीएआर) से लेवी की गणना करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अब 60 फीट से कम चौड़ी सड़कों पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट लाना, 60 फीट और इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर भवन की ऊंचाई पहले सड़क चौड़ाई से डेढ़ गुणा तक होना, डेढ़ गुणा के साथ फ्रंट सेटबैक की चौड़ाई जोड़कर जितनी ऊंचाई आएगी, उतने ऊंचे भवन बनाने की अनुमति देना, फ्रंट सेटबैक की गणना भवन के क्षेत्रफल के अनुसार अलग-अलग करने का प्रावधान करना जरूरी है। लेकिन इस मुद्दे पर एमसीडी के पास सख्त नियम का अनुपालन कराना टेढी खीर है। सिंघल विंडो सिस्टम नहीं है। जिसका लाभ मातहत अधिकारी उठा रहे हैं। हादसा होने पर वे कानूनी जटिलताओं को खुद को पाक साफ बता देते हैं।

उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लि.
"पन्तनगर बीज"
पन्तनगर, पत्रालय-हल्दी, जनपद-ऊधम सिंह नगर

पत्रांक : बीजनिगम/04/विप./2024/10985 दिनांक : 27.07.2024

ई-निविदा सूचना

निगम के उत्तराखण्ड राज्य स्थित संयंत्रों व गोदामों पर उपलब्ध गेहूँ व अन्य प्रमाणित फसलों के छानन, झाडन, स्वीपेज (अनुपचारित) एवं अधोमानक मात्रा लगभग 2664.34 कुन्तल एवं गेहूं/धान, अन्य (उपचारित) बीज अधोमानक 71.88 कुल बीज मात्रा 2736.22 निगम के विभिन्न संयंत्रों पर " **जहाँ है, जैसे है**" के आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध है। उपलब्ध समस्त मात्रा अथवा आंशिक मात्रा का टेण्डर भरा जा सकता है। जिसका मूल्य रु 2,000.00+18 प्रतिशत जी.एस.टी. अतिरिक्त नगद जमा कर अथवा उक्त राशि का आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. अलग से ई-निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ई-निविदा प्रपत्र की ऑनलाईन-बिक्री दिनांक 29.07.2024 से 18.08.2024 के सायं 5.00 बजे तक की जायेगी। निविदा प्रपत्र ऑनलाईन www.uktenders.gov.in के माध्यम से Download एवं Upload किया जा सकता है। निविदा बेबसाईट www.uktenders.gov.in के माध्यम से दिनांक 29.07.2024 से 18.08.2024 के सायं 5.00 बजे तक भरी जायेगी। ई-निविदा की तकनिकी बिड दिनांक 20.08.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे अधिकृत समिति द्वारा खोली जायेगी। अधिक जानकारी निगम के वेबसाईटः www.ukstdc.com & www.pantnagarseeds.com पर उपलब्ध है। ई निविदा को www.uktenders.gov.in पर देखा एवं भरा जा सकता है।

प्रभारी विपणन

जिला अदालतों में सरकार बनाए डिजिटल लाइब्रेरी

■ अमरेश कुमार

नई दिल्ली। एसएनबी

■ राजधानी के सभी जिलों में सरकारी अभियोजकों के लिए दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह राजधानी के सभी जिलों में सरकारी अभियोजकों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाए। उसमें जरूरी संख्या में कंप्यूटर, प्रिंटर, हाई-स्पीड ब्राडबैंड व अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे के साथ प्रमुख ई-जर्नल और ई-लीगल साफ्टवेयर भी लगाएं जाएं।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत एवं न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने राजधानी के सभी जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिलों में तैनात सरकारी अभियोजकों को आवश्यक कार्यालय स्थान उपलब्ध कराएं। कार्यालय व ई-लाइब्रेरी बनाने के लिए स्थान की पहचान करें और इसके लिए संबंधित भवन रखरखाव एवं निर्माण समिति (बीएमसीसी), दिल्ली हाईकोर्ट से अनुमोदन लें। पीठ ने उक्त टिप्पणी करते हुए स्थायी वकील (आपराधिक) और अभियोजन निदेशालय के कार्यालय के अभिलेखों का डिजिटलीकरण एवं अपील दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए वर्ष 2017 में स्वतः संज्ञान से लिए गए मामले का निपटारा कर दिया।

पीठ ने कहा कि आज की तारीख में लोक अभियोजकों को लैपटाप और टैबलेट के लिए 80 हजार रुपए मिलते हैं। यह पर्याप्त हैं। लेकिन उन तकनीकी उपकरणों का जीवन काल पांच साल के बजाए चार साल माना जाए। उसने सरकार से छह सप्ताह के भीतर इस संबंध में ज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि 80 हजार रुपए की राशि में जीएसटी शामिल नहीं है। उसने सरकार से लोक अभियोजकों को प्रति वर्ष ड्रेस भत्ता के रूप में 10 हजार रुपए भी देने को कहा है। पीठ ने अभियोजकों से भी कहा कि वे दिल्ली जिला न्यायालयों के लिए निर्धारित कैलेंडर का पालन करेंगे। उसने सरकार से अभियोजकों के अवकाश व अवकाश के दौरान अन्य काम सौंपे जाने पर आठ सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है। वह उनके लिए भत्ता या पीएसओ प्रदान करने जैसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था पर भी आठ सप्ताह के भीतर निर्णय ले। इसके अलावा उन्हें पांच साल पर 1.25 लाख रुपए कैंप कार्यालय भत्ते के रूप में भी देने को कहा।

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
साहिबाबाद शाखा: दूसरी मंजिल, प्लॉट नं. ए-1, ब्लॉक-ए, श्याम पार्क, एक्सटेंशन साहिबाबाद, साहिबाबाद के पास मेट्रो स्टेशन के निकट, तहसील और जिले के राजस्व गांव के भीतर जगोला, परगना लोनी, गाजियाबाद - 201005, (उत्तर प्रदेश)
ग्रेटर नोएडा पश्चिम शाखा: गैलेक्सी प्लाजा, एफजेड-1 (एसएफ फन जोन), दूसरी मंजिल, गैलेक्सी प्लाजा गौर सिटी-1, ग्रेटर नोएडा पश्चिम - 201309 (उ.प्र.)
नोएडा सेक्टर 31 शाखा: दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 253, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, महाराजा अग्रसेन मार्ग, नोएडा सेक्टर -31, पिलर नंबर 23, निठारी ग्राम गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201301

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
1	(लोन कोड नं.05300000334 / साहिबाबाद शाखा) राहुल डे (ऋणी), मोमिता चौधरी (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, फ्लेट नं. 331, तीसरी मंजिल, खसरा नं. 373, साई धाम रेसीडेंसी, ग्राम बसई दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201001. **चर्तु:सीमा :** पूर्व- कॉमन एरिया (कॉरिडोर), पश्चिम- अन्य भाग, उत्तर- खुला (20 फीट चौड़ी सड़क), दक्षिण- यूनिट नं 3311	24-08-2022 ₹ 10,49,393/-	24-07-2024
2	(लोन कोड नं.37210000089/ ग्रेटर नोएडा पश्चिम शाखा) विक्रम सिंह (ऋणी), सुनीता पति विक्रम (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नं. 312 के भाग पर प्लॉट गुलिस्तानपुर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश - 201306. **चर्तु:सीमा:** पूर्व: विकास का प्लॉट, पश्चिम: गौतम का प्लॉट, उत्तर: नरेश का मकान, दक्षिण: 15 फीट चौड़ि सड़क	17-04-2024 ₹ 10,53,944/-	25-07-2024
3	(लोन कोड नं. 20200002588/ नोएडा सेक्टर 31 शाखा) राकेश कुमार (ऋणी), किशन जैन (सह-ऋणी) अरविंद कुमार (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नंबर 383 ग्राम हल्दोनी ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201306. **चर्तु:सीमा:** पूर्व: मनोहर का मकान, पश्चिम: खुला प्लॉट, उत्तर: राजू का मकान, दक्षिण: 12 फीट चौड़ी सड़क	15-04-2024 ₹ 15,32,028/-	26-07-2024

स्थान : उत्तर प्रदेश
दिनांक : 29-07-2024

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

JUBILANT FOODWORKS

जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड
सीआईएन : L74899UP1995PLC043677
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट 1ए, सैक्टर 16ए, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश
कॉर्पोरेट कार्यालय: 15वां तल, टॉवर इ, स्काईमार्क वन, प्लॉट नं. एच–10/ए, सैक्टर–98, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश
फोन: +91-120-6927500; +91-120-6935400
वैबसाइट: www.jubilantfoodworks.com, **ईमेल:** investor@jublfood.com

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से आयोजित की जाने वाली 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना, रेकार्ड तिथि और लाभांश की जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 के साथ पठित, समय–समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्रों के साथ पढ़ें, जिनमें से सबसे नया सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 ('एमसीए परिपत्र') है, इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि **जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड ('कंपनी')** के सदस्यों की **उनतीसवीं (29वीं) वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') गुरुवार, 29 अगस्त, 2024** को **सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('वीसी/ओएवीएम')** के माध्यम से, एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 29वीं एजीएम बुलाने की सूचना ('एजीएम नोटिस') में निर्धारित व्यवसाय को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का इलैक्ट्रॉनिक प्रसार: एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और समय–समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्रों के अनुपालन में, नवीनतम SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 है, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट') के साथ एजीएम नोटिस केवल इलैक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जाएगा, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए')/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज़ कंपनी की वैबसाइट https://www.jubilantfoodworks.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वैबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की वैबसाइट www.bseindia.com और एनएसई लिमिटेड की वैबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

ई–वोटिंग: सदस्यों को एजीएम सूचना में सभी प्रस्तावों पर इलैक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोट डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा (एजीएम से पहले) तथा ई–वोटिंग की सुविधा (एजीएम में) प्रदान की जाएगी। रिमोट ई–वोटिंग तथा ई–वोटिंग की सुविधा हेतु विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके द्वारा प्रस्तावों पर अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग द्वारा नहीं डाला गया है। जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं, परंतु उनको दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य अथवा जिन सदस्यों की ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, वे ई–मेल आईडी के पंजीकरण, एजीएम में भाग लेने तथा ई–वोटिंग के लिए यूज़र आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एजीएम की सूचना मे वर्णित विस्तृत प्रक्रिया देखें।

लाभांश और रेकार्ड तिथि : कम्पनी के निदेशक मंडल ने 22 मई, 2024 को आयोजित इसकी बैठक में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए भारतीय रूपए 2/– प्रत्येक के अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर भारतीय रूपए 1.20/– (अर्थात 60 प्रतिशत) लाभांश की अनुशंसा, एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन की शर्त के तहत की है। सदस्यों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर, लाभांश का भुगतान/प्रेषण, लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की ग्राह्यता निर्धारण हेतु रेकार्ड तिथि अर्थात 12 जुलाई, 2024 को इलैक्ट्रॉनिक अथवा भौतिक रूप में कम्पनी के इक्विटी शेयरों के धारक सदस्यों को किया जाएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि अपने लाभांश की हकदारी का इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट पाने के लिए अपना बैंक विवरण एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए गए अनुदेशों के अनुसार अद्यतन करवा लें।

लाभांश पर कर : आयकर अधिनियम, 1961, ("आईटी ऐक्ट"), के प्रावधानों के निबन्धनों में, सदस्यों के हाथों में लाभांश आय कर योग्य है तथा कम्पनी द्वारा सदस्यों को अदा किए जाने वाले लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती आईटी ऐक्ट के तहत निर्धारित दर पर की जानी अपेक्षित है। स्रोत पर कर की कटौती आवासीय स्थिति, सदस्यों की श्रेणी पर आधारित होगी तथा आईटी ऐक्ट के तहत निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी। अतएव सदस्यों से कर संबंधी आवश्यक दस्तावेज़/घोषणाएं लिंक https://liiplweb.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html पर **8 अगस्त, 2024** को अथवा पहले अपलोड करने का अनुरोध है, ताकि कम्पनी लागू कर की उपयुक्त दर निर्धारित कर सके।

जो सदस्य अपनी ई–मेल आईडीज़ एवं बैंक खाता अधिदेश पंजीकृत/अद्यतन करने के इच्छुक हैं, नीचे दिए अनुदेशों का पालन करें :

- जिन सदस्यों ने कम्पनी के इक्विटी शेयर डीमैट रूप में धारित कर रखे हैं, उनसे अपने संबंधित डीपी से सम्पर्क करने और डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का पालन करने का अनुरोध है।
- जिन सदस्यों ने कम्पनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में धारित कर रखे हैं वे अपने विवरणों का पंजीकरण/अद्यतनीकरण निर्धारित प्रपत्र आईएसआर–1 तथा अन्य संबद्ध प्रपत्रों में कम्पनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. के पास delhi@linkintime.co.in पर करवा सकते हैं। सदस्यगण निर्धारित प्रपत्र कम्पनी की वैबसाइट https://www.jubilantfoodworks.com/investors-shareholder-information-investor-forms से डाउनलोड कर सकते हैं।

वास्ते **जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड**
हस्ता./–
(मोना अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

दिनांक: 26.07.2024
स्थान: नोएडा